संपादकीय जागरण

रविवार, 20 मई, 2018 : ज्येष्ठ शुक्ल 6 वि. 2075

विनम्रता से हार स्वीकार करने में ही भलाई होती है

लोकतंत्र की विडंबना

आखिरकार भाजपा कर्नाटक में अपनी सरकार बचा नहीं सकी। मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा के लिए बहुमत का जुगाड़ करना पहले ही कठिन लग रहा था। यह कठिन काम तब और कठिन हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ ही घंटों के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहा। यह अच्छा हुआ कि राजनीतिक हकीकत से परिचित होने के बाद उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने के बजाय त्यागपत्र देने का फैसला किया। पता नहीं इससे उन्हें कुछ सहानुभूति हासिल होगी या नहीं, लेकिन इतना तो है ही कि वह खरीद-फरोख्त के आरोप से बचे रहे। उनके त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस और जद-एस के साथ अन्य विपक्षी दलों का उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन वे येद्दयुरप्पा के इस्तीफे को न तो सत्य की जीत के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं और न ही लोकतंत्र की विजय के रूप में। कर्नाटक का जनादेश यह नहीं कहता कि तीसरे स्थान पर रहने वाला दल सरकार की कमान संभाले, दूसरे स्थान पर आया दल उसका सहारा बने और पहला स्थान हासिल करने वाला दल विपक्ष में बैठे, लेकिन अब ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल जिसे लोकतंत्र की जीत बताया जा रहा है वह लोकतंत्र की विडंबना है। ऐसी विडंबना रह-रह कर देखने को इसलिए मिलती रहती है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने खंडित जनादेश की स्थिति में सरकार गठन के तौर-तरीके तय करने की जरूरत ही नहीं समझी। देश या प्रदेश को खंडित जनादेश का सामना कभी भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह एक अभिशाप की तरह बना रहे। फिलहाल ऐसा ही है, क्योंकि इस स्थिति में राजनीतिक दलों को मनमानी करने की छूट मिल जाती है।

येद्दयुरप्पा के त्यागपत्र के बाद भाजपा विरोधी दल के नेता राज्यपाल के त्यागपत्र की भी मांग कर रहे हैं। इसमें दोराय नहीं कि राज्यपाल ने येद्दयुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त देकर यह संकेत किया कि वह उन्हें बहुमत का प्रबंध करने के लिए अच्छा-खासा समय दे रहे हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़े दल के तौर पर भाजपा को सरकार गठन के लिए बुलाने के उनके फैसले को सही बताया। त्रिशंकु सदन की स्थिति में यदि सबसे बड़े दल को सरकार गठन का मौका देना सही है तो फिर ऐसे दल को बहुमत साबित करने का अवसर देना गलत कैसे हो सकता है? निःसंदेह सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत साबित करने की अवधि में कटौती अवश्य की, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि सबसे बड़े दल को विश्वास मत हासिल करने का मौका ही न मिले। यदि सबसे बड़े दल को सरकार गठन के लिए दावा करने का अधिकार है तो फिर उसे बहुमत साबित करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। यह अधिकार चुनाव बाद गठबंधन करने के अधिकार से कहीं अधिक उचित और लोकतांत्रिक है। बेहतर हो कि राजनीतिक दल इस पर विचार करें कि चुनाव बाद गठबंधन करना कितना सही है? इस प्रश्न पर विचार इसलिए और भी होना चाहिए, क्योंकि सरकारिया आयोग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाद गठबंधन के मुकाबले चुनाव पूर्व गठबंधन को अधिक अहमियत दी है।

गंगा की सफाई

प्रदेश में गंगा को निर्मल करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने गंगा को साफ रखने के लिए नगरीय निकायों को इसके किनारे पांच सौ मीटर तक कूड़ा न फेंकने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों से डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए भी कहा गया है। गंगा में मिलने वाले नालों के मुहाने पर जाली लगाने का भी निर्देश दिया गया है। प्रदेश में गंगा नदी विभिन्न शहरों से गुजरते हुए कुल 1450 किमी. की दूरी तय करती है। इस बीच इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। यदि गंगा को साफ रखना है तो सहायक नदियों को भी साफ रखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। सच्चाई है कि गंगा में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता दुनिया की अन्य नदियों के मुकाबले कहीं अधिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा तीरे बसे शहरों का प्रदूषण इस कदर उसमें समा रहा है कि उसका निर्मल रहना मुश्किल हो गया है। गंगा के किनारे स्थित शहरों का कूड़ा करकट और गंदा पानी, उद्योगों का कचरा और रासायनिक जल इस नदी को गंदे नाले में तब्दील कर रहा है और कई जगह तो कर भी चुका है।

> गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का प्रदूषण इस कदर उसमें समा रहा है कि इसका निर्मल रहना मुश्किल हो गया है

यह तब है जब देश में लोग इस नदी को पूजते हैं और इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जा चुका है। इसको प्रदूषित करने वालों पर हत्या की धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। सैद्धांतिक तौर पर चाहे जितनी कागजी कार्यवाही कर ली जाए, पर व्यावहारिक स्तर पर शून्य होने से किसी को भी इसका मलाल नहीं होता है कि जीवनदायिनी को ही वे धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। कानून और निर्देशों का कड़ाई से पालन न हो पाने के कारण ही गंगा की सफाई का काम इतना सुस्त है कि जितनी सफाई होती है उससे अधिक प्रदूषित हो जाती है। इसलिए यदि गंगा को निर्मल करना है तो कानूनों और निर्देशों का कड़ाई से पालन करना भी सुनिश्चित करना होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने संतोषजनक प्रयास किए हैं?

आज का सवाल

क्या कर्नाटक में बीएस येद्दयुरप्पा ने शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा देकर सही किया?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

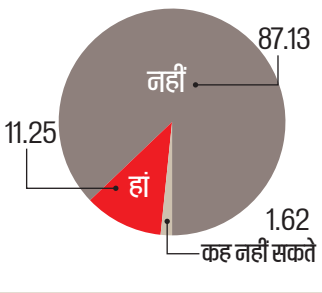

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

गठबंधन राजनीति का खुला खेल

संजय गुप्त
लगता है हमारे संविधान निर्माता यह कल्पना ही नहीं कर सके कि एक समय ऐसा भी आएगा जब देश गठबंधन राजनीति के दौर से गुजरेगा

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने, लेकिन बहुमत से दूर रहने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह आनन-फानन जनता दल-सेक्युलर को समर्थन देने की घोषणा की उसे देखते हुए बीएस येद्दयुरप्पा के नेतृत्व में सरकार गठन की संभावनाएं समाप्त सी हो गई थीं, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर इन संभावनाओं को फिर उभार दिया था। उन्होंने येद्दयुरप्पा को न केवल सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया, बल्कि उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय भी दे दिया। चूंकि बहुमत परीक्षण के लिए जरूरत से ज्यादा समय दिया गया इसलिए इस आशंका को बल मिला कि उन्हें जोड़-तोड़ के लिए मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और वहां उसे राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने येद्दयुरप्पा को 15 दिन के बजाय अगले 30 घंटों में बहुमत साबित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से येद्दयुरप्पा का काम और कठिन हो गया। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने शक्ति परीक्षण के पूर्व एक भावुक भाषण देकर त्यागपत्र देने की घोषणा की। विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने के पहले ही येद्दयुरप्पा के त्यागपत्र की घोषणा काफी कुछ वैसी ही रही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन तक सरकार चलाने के बाद की थी। येद्दयुरप्पा का इस्तीफा यह बताता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था और उन दावों में कोई दम नहीं था कि उनके पास पर्याप्त संख्याबल है और वे आवश्यक बहुमत जुटा लेंगे।

येद्दयुरप्पा के इस्तीफे के बाद जद-एस के नेतृत्व और कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार का गठन चाहे जब हो, लेकिन ये दोनों दल भाजपा को अनैतिक और खुद को नैतिक नहीं करार दे सकते, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव प्रचार के दौरान जहां कांग्रेस जद-एस को भाजपा की बी टीम बता रही थी वहीं जद-एस नेता यह कह रहे थे कि खंडित जनादेश की स्थिति में वे न तो कांग्रेस का साथ देंगे और न ही भाजपा का। चुनाव नतीजे आते ही वे एक हो गए। जो यह कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुमत न होते हुए भी सरकार बनाने का दावा करके सही नहीं किया उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस ने जद-एस को समर्थन देकर राजनीतिक अवसरवाद का परिचय दिया। क्या यह आदर्श स्थिति है कि तीसरे नंबर वाला दल दूसरे नंबर वाले दल के समर्थन से सरकार का नेतृत्व करे और पहले नंबर वाला दल विपक्ष में बैठे? अगर कांग्रेस और जद-एस को यही करना था तो फिर वे मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्या यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक का जनादेश इसके पक्ष में था कि कांग्रेस पिछले दरवाजे से फिर सत्ता में आ जाए? निःसंदेह ऐसा कुछ गोवा में हुआ था, लेकिन वहां सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी कांग्रेस जब तक सक्रियता दिखाती तब तक दूसरे नंबर पर आई भाजपा ने अन्य दलों से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार गठन की

अवधेश राजपूत

कोशिश ही नहीं की। गोवा के विपरीत कर्नाटक में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी भाजपा ने भी सरकार गठन का दावा पेश किया और कांग्रेस का समर्थन हासिल कर जद-एस ने भी। कांग्रेस अब यह कह सकती है कि कर्नाटक में लोकतंत्र की जीत हुई, इसकी वह अनदेखी नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़े दल को सरकार गठन के लिए बुलाने के राज्यपाल के फैसले को एक तरह से सही करार देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में चुनाव बाद गठबंधन वाले दलों का दावा सबसे बड़े दल के बाद आएगा। सरकारिया आयोग का भी यही मानना था और सुप्रीम कोर्ट एक अन्य फैसले में भी यह कह चुका है कि खंडित जनादेश में चुनाव बाद गठबंधन वाले दलों का सरकार गठन का दावा चुनाव पूर्व गठबंधन और सबसे बड़े दल के बाद आएगा।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि गठबंधन राजनीति के तौर-तरीके तय किए जाएं। अभी तो गठबंधन राजनीति के नाम पर मनमानी राजनीति की जा रही है और एक तरह से जनता के साथ छल किया जा रहा है। एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने और उस दौरान उन्हें जनता और लोकतंत्र का विरोधी बताने वाले दल जब चुनाव के बाद एकजुट हो जाते हैं तो इससे न केवल आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का उपहास भी उड़ता है। कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले को लेकर आसमान सिर पर उठाने वाली कांग्रेस इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि केंद्र में उसके शासन के दौरान राज्यपालों ने कहीं अधिक मनमाने फैसले किए और उनके अनुचित फैसलों से पीड़ित राजनीतिक दलों को कहीं से और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि तब न्यायिक सक्रियता का दौर नहीं था। यह एक तथ्य है कि कांग्रेस के शासनकाल में अकारण ही विरोधी दलों की सरकारें गिराई गईं और अनुच्छेद 356 का जमकर दुरुपयोग किया गया। यह काम दूसरे दलों ने भी किया है और इसका कारण यही है कि एक तो राजनीति में कोई भी उदाहरण पेश करने वाले काम नहीं करता और दूसरे खंडित जनादेश की हालत में राजनीतिक दलों को एक तरह से मनमानी करने की छूट मिल जाती है।

कर्नाटक में जद-एस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का रास्ता साफ हो जाने के बाद इसके आसार बढ़ गए हैं कि विपक्षी दल भाजपा का सामना करने के लिए नए सिरे से एकजुट होने की कोशिश करेंगे। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन इसके पहले उन्हें गठबंधन राजनीति के तौर-तरीके तय करने पर जोर देना चाहिए। यह इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि संविधान इस बारे में स्पष्ट नहीं कि त्रिशंकु सदन की हालत में सरकार का गठन कैसे हो? लगता है हमारे संविधान निर्माता यह कल्पना ही नहीं कर सके कि एक समय ऐसा भी आएगा जब देश गठबंधन राजनीति के दौर से गुजरेगा।

अगर यह कहा जा रहा है कि गठबंधन राजनीति वक्त की मांग है तो फिर उसके कुछ नियम-कायदे बनने चाहिए। एक नियम यह हो सकता है कि चुनाव बाद गठबंधन के नियम कड़े किए जाएं और बिना न्यूनतम साझा कार्यक्रम परस्पर विरोधी दलों के तालमेल को मान्यता ही न दी जाए। ऐसे भी नियम बनाए जा सकते हैं कि यदि एक बार सरकार गठित हो जाए तो उसे एक निश्चित अवधि तक शासन करने का मौका मिले। इस अवधि के बाद सरकार के अल्पमत में आ जाने पर भी मध्यावधि चुनाव की नौबत न आने की व्यवस्था की जा सकती है। इसी तरह अल्पमत सरकार को भी कुछ समय तक शासन करने का अवसर दिया जा सकता है। कम से कम यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि परस्पर विरोधी राजनीतिक दल चुनाव बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र किए बिना गठबंधन कर लें। राजनीतिक दलों को गठबंधन राजनीति के नाम पर ऐसी मनमानी करने की खुली छूट देना जनादेश के निरादर के अलावा और कुछ नहीं।

response@jagran.com

चुनाव के बाद की चकल्लस

हास्य-व्यंग्य

निर्मल गुप्त

चुनाव बाद डरी-डरी सी रहने वाली ईवीएम इस बार खूब इतराती दिखी, क्योंकि कोई उसे कुछ कह नहीं रहा था

चुनाव हो गए। मतगणना हो ली। ईवीएम से निकले जनादेशी बेताल ने ताल ठोंक कर, लेकिन त्रिशंकु होकर कहा-अब कोई सरकार बनाए तो मानें? उसे लगा कि सब लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन हुआ उलटा और सब लोग सरकार बनाने के लिए न केवल आगे आ गए, बल्कि यह भी दावा करने लगे कि हम ज्यादा तैयारी करके आए हैं। बेचारा बेताल डाल छोड़कर भाग खड़ा हुआ।

एक तरीके से देखा जाए तो यह अच्छा ही हुआ। सीधा सपाट सब कुछ निपट जाए तो क्या मजा। अब हम एलानिया कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी को बाल-बाल बचा लिया गया। ध्यान रहे कि डेमोक्रेसी बचती ही तब है जब वह किसी एक के पास से निकलकर किसी दूसरे के पास चली जाए। साथ ही यह आत्मा की ही तरह अजर और अमर भी होती है, क्योंकि अक्सर यही सुनने को मिलता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन किसी तरह उसका अस्तित्व बचा ही रहता है।

डेमोक्रेसी की सखी ईवीएम ने देखा कि किस तरह पहले एक-एक वोट को बड़ी एहतियात के साथ संभाल कर रखा गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे तय वक्त से पहले पैदा नवजात को रुई के फाहे या अस्पताल के विशेष वार्ड में रखा जाता है। फिर जब उन्हें गिना गया तो बहुमत का जादुई आंकड़ा जरा सा दूर रह गया। इस जरा सी दूरी ने राजनीति से जुड़ी उत्सवधर्मिता के दिन लौटा दिए। बड़े दिनों के बाद आंख मिचौनी वाली राजनीति हुई। लोकतंत्र में रसरंजन, व्यंजन और खनकता आशावाद इसी तरह से अनायास उपलब्ध होता है, लेकिन तभी जब जनादेश खंडित हो। जनादेश खंडित न होता तो रिसॉर्ट वाले कैसे कहते कि अरे, हम भी हैं। आओ पहले आराम करो, फिर सरकार बनाने की चिंता करो। क्यों न एक-एक रिसॉर्ट हर राज्य की राजधानी में बनाया जाए और वह भी ऐसी जगह जहां से सीधे विधानसभा तक पहुंचा जा सके? इस बारे में आपका जो भी ख्याल हो, ऐसे रिसॉर्ट के कुछ रास्ते पतली गलियों में अवश्य खुलने चाहिए ताकि किसी को भागना हो तो बिना बताए या फिर बताकर भी भाग सके। जैसे शुद्ध आबोहवा वाले रिसॉर्ट वालों को बड़े दिनों बाद सुहाने दिन का अहसास हुआ वैसे ही टीवी चैनलों की भी लॉटरी सी खुल गई। वे बार-बार दर्शकों को बताने लगे कि हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। आओ, आओ, इसे देखो। वे यह कह तो नहीं रहे थे, लेकिन उनका मतलब यही था कि सरकार का बहुमत ठीक उसी तरह निकलेगा जैसे जादूगर के हैट में से फुदकता हुआ खरगोश या लोटन कबूतर प्रकट होता है। आखिर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि संडे की छुट्टी वाले दिन लोकतंत्र का ऐसा उत्सव देखने को मिले? वैसे यह ठीक नहीं हुआ कि बहुमत के खरगोश या कबूतर की जगह एक फड़फड़ाता हुआ त्यागपत्र निकला।

कर्नाटक ने भले ही त्रिशंकु विधानसभा देखी हो, लेकिन देश को दो अलग-अलग किस्म के आइपीएल देखने को मिले। एक खेल आधी रात तक आधिकारिक तौर पर होता रहा और एक घने अंधेरे के अधबीच अनौपचारिक फॉर्मेट में। पहले वाले में कोई टीम जीतते-जीतते हार जाती रही और दूसरे में पता ही नहीं चलता कि किसकी हार हो रही और किसकी जीत। जब लोग थर्ड अंपायर की ओर देखते तो पता चलता कि न हार हुई, न विजय हुई, शायद नो बॉल हुई। फिर अचानक पता लगता कि मामला सुपर ओवर तक खिंचेगा। सुपर ओवर देखने की तैयारी कर रहे लोगों को अचानक पता लगा कि सिर्फ एक गेंद बची है, लेकिन वह 30 घंटे बाद डाली जाएगी। ऐसे में मजबूरी में गेंद और बल्ले वाला आइपीएल देखने का फैसला करना पड़ा, लेकिन तब तक वहां केवल हाईलाइट ही बची थी।

इस बार कर्नाटक के मतदाताओं ने यह एक काम तो अच्छा किया कि उनकी वजह से बहुत से लोगों को ऐसे ही घूमने-फिरने का मौका मिल गया। किसी को रिसॉर्ट में तो किसी को टीवी चैनल के दफ्तरों में तो किसी को आधी रात को अदालत में। एक तरह से इस पर मुहर लग गई कि इस देश में रात-बिरात और कोई काम हो या न हो, बेचारे गरीब नेताओं की याचिका जरूर सुनी जाएगी।

एक और अच्छा काम यह हुआ कि चुनाव बाद डरी-डरी सी रहने वाली ईवीएम इस बार खूब इतराती दिखी, क्योंकि कोई उसे कुछ कह ही नहीं रह था। यहां तक कि कोई उसका नाम तक नहीं ले रहा था। बड़े दिनों बाद वोटिंग मशीन को ईमानदार होने का अहसास हो रहा था सो वह इतराती रही, लेकिन जब उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह अपने ठिकाने चली गई, क्योंकि किसी ने उसके कान में कह दिया कि दीदी के गांव में बैलट बॉक्स तालाब में डूबते देखे गए हैं।

और किसी को पता हो या न हो, ईवीएम को यह पक्का पता था कि ऐसे बने या वैसे, वोट पड़ा है और गिना गया है तो फिर सरकार बननी ही है। वैसे जिन्हें वोट देने का मौका नहीं मिला वे जरूर यह सोच कर पछता रहे हैं कि हमने भी कर्नाटक के लोगों जैसा कुछ किया होता तो सरकार बनने के पहले मनोरंजन का भी अतिरिक्त मौका मिलता।

response@jagran.com

ऊर्जा

चिंतन

हम आप जीवन के पथिक हैं। हम आप एक व्यवस्था का पालन करते हैं। पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रेम का प्रतीक, मर्यादा का प्रतीक, ईश्वर का प्रतीक, मन का प्रतीक आदि सब प्रतीक के रूप में हैं। कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हैं तो कहीं लीला प्रधान श्रीकृष्ण हैं। इसके पहले भी बहुत से लोग हुए जो अपनी-अपनी लीला करके चले गए और आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी-अपनी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन आपको वह इसलिए दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने उन आंखों को बंद कर रखा है। आप अपने अंदर छिपी उस पुण्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। आप भ्रमित होकर यहां-वहां पूछने जाते हैं। इसीलिए आप कमजोर हो जाते हैं। यदि आपको अपनी साधना पर विश्वास है, आस्था है तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। यदि आप भटके हुए हैं और प्रभु की खोज कर रहे हैं तो प्रकृति आपको कभी भी उस परमात्मा से नहीं मिलने देगी, क्योंकि आपके चले जाने से उसको खो जाने का डर है। प्रकृति सोचती है कि यदि सभी मनुष्य बुद्धिमान हो जाएं तो यह चंचलता नहीं रहेगी।

दरअसल बुद्धि हमेशा चिंतन से सक्रिय होती है। वह आपके अधीन नहीं है। वह आपके भीतर है, लेकिन बाहर आकर किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करती। हमें आपको इसे पकड़ना होगा। आज के चिंतकों ने बहुत सी चीजों को खोज रखा है। यह खोज पुराने चिंतकों की नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्होंने कभी इसे खोजने का प्रयास ही नहीं किया। इसे जानने की कोशिश कुछ संतों ने भी नहीं की और न ही कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने। फलस्वरूप दोनों में दूरियां बढ़ गईं। एक सत्य को खोज रहा है तो एक धार्मिक रहस्य को। एक आत्मीयता की खोज विज्ञान के माध्यम से करना चाहता है तो दूसरा अपने शरीर, मन, बुद्धि से परे जाकर ध्यान की गहराई पर उतरना चाहता है। दोनों अनुभव शून्य हैं। दोनों में कोई साम्य नहीं है। हम जो यज्ञ करते हैं, वह भी एक विधि ही तो है। हममें से जो भी कोई इस यज्ञ में भाग लेता है, वह स्वयं को भगवद्-सत्ता से जोड़ने की कोशिश करता है। हमारा संकल्प आप लोगों को समर्थ व बलवान बनाने के लिए और आपके अंदर छिपी हुई क्षमता को जगाने के लिए है। हम आपकी जरूरत नहीं हैं, आप हमारी जरूरत हैं।

महायोगी पायलट बाबा

तथ्य-कथ्य

बिना बैंक खाते वाले लोग

(15 वर्ष से अधिक आयु वाले उन लोगों की संख्या जिनका बैंकों में खाता नहीं)

स्रोत : विश्व बैंक, दिसंबर 2017 तक के आंकड़े लाख में

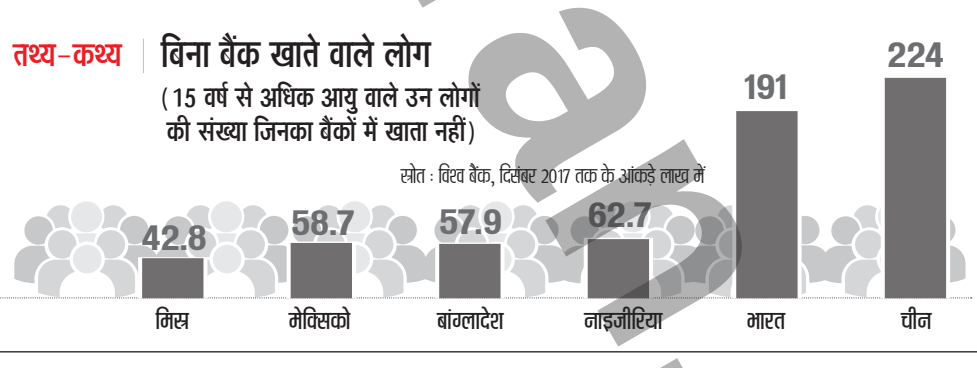

निकल चुका तीर

शरद यादव ऐसे नेता हैं जो वक्त मिलते ही जनता परिवार को इकट्ठा होने की वकालत करते हैं। उनके नजदीकियों का दावा रहा है कि वह कोशिश करें तो यह करिश्मा हो भी सकता है। यह और बात है कि कर्नाटक में उनके समर्थकों को भी जनता परिवार के पुराने खिलाड़ी व जदएस नेता देवगौड़ा का साथ नहीं मिला। बताते हैं कि उनके लोगों को लोक आवाज पार्टी के ब्लैकबोर्ड चिन्ह पर लड़ना पड़ा। इससे पहले गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी का सहारा लेना पड़ा था। कोर्ट में अभी भी शरद यादव का दावा है कि वही जदयू के असली नेता हैं और चुनाव चिन्ह 'तीर' पर भी उनका ही हक है। वैसे भी चुनाव आयोग उनके दावे को खारिज कर चुका है। अब कोर्ट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन जितनी तेजी से वह अलग-अलग निशान का उपयोग कर रहे हैं और अब दो दिन पहले लोकतांत्रिक जनता दल के गठन की घोषणा की है उसके बाद समर्थक भी मानने को मजबूर हैं कि शरद के हाथ से तीर निकल चुका है।

आरोप-प्रत्यारोप का खेल

कर्नाटक के राजनीतिक नाटक में भूमिका निभा रहे विभिन्न दलों ने पिछले दिनों एक-दूसरे पर हर तरह के आरोप लगाए।

राजरंग

इनमें कुछ हास्यास्पद आरोप भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए जद-एस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) कांग्रेस तथा जद-एस के विधायकों को बंगलुरु से कोच्चि ले जाने वाले चार्टर्ड विमान को उड़ान की अनुमति नहीं दे रहा। जबकि देश के भीतर चार्टर्ड विमानों की नॉन शिड्यूल्ड उड़ानों के लिए डीजीसीए की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुमारस्वामी का यह आरोप तब तक चर्चा में रहा जब तक कि विमानन मंत्रालय की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं कर दी गई। विमानन मंत्रालय कवर करने वाले मीडियाकर्मी भी खबर के चक्कर में इसे फॉलो करते रहे, मगर आखिर में खबरनवीसों के हाथ भी कुछ खास नहीं लगा।

आखिर टूटी आस

स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना दिखाने वाले बड़े साहब की आस आखिरकार टूट गई। उन्हें यह झटका उस समय लगा जब सरकार ने उनकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए स्कूली शिक्षा की कमान उनके अधीनस्थ को सौंप दी। यह स्थिति तब बनी, जब बड़े साहब की सेवानिवृत्ति को अभी भी एक महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। हालांकि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनकी कोशिश थी कि उन्हें कम से कम एक सेवा विस्तार मिलेगा। यही वजह थी कि विभागीय बैठकों में भी वह पिछले कुछ समय से लगातार यह संकेत देते रहे थे कि वह रिटायरमेंट की स्थिति में हैं। उनका सीधा इशारा सेवा विस्तार हासिल करने को लेकर था। बताते है कि साहब ने इसके लिए चुस्त फील्डिंग भी लगाई थी। हाल ही में सरकार को पेपरलीक की मुश्किल से निकालने के बाद उनका आत्मविश्वास इसे लेकर और भी ज्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका।

नाम का संकट

नौकरशाह से सीधे मंत्री बनने वालों के लिए कभी-कभी अजीब सी स्थिति खड़ी हो जाती है। मंत्री होने के कारण उन्हें कार्यक्रम में बुला तो लिया जाता है, लेकिन परिचय कराने वाले उनका नाम ही भूल जाते हैं। जबकि लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद मंत्री बनने वाले नेताओं का नाम हर किसी की जुबां पर होता है। कुछ समय पहले ऐसा ही वाकया एक पूर्व नौकरशाह के साथ हुआ। पिछले मंत्रिमंडल फेरबदल में उन्हें अहम मंत्रालय दिया गया था। जाहिर तौर पर मंत्री होने के कारण उन्हें पार्टी के मंच पर जगह भी मिलने लगी, लेकिन अजीब स्थिति उस समय पैदा हो गई जब मंच पर परिचय कराते समय कार्यक्रम के संयोजक उनका नाम ही भूल गए। आखिरकार माइक पर हाथ लगाकर उन्हें मंत्री जी का नाम पूछना पड़ा। शायद मंत्रीजी को ऐसी स्थिति की आशंका पहले से थी, सो उन्होंने धीरे से अपना नाम बता दिया और इस तरह हालात को संभाल लिया गया।

ट्वीट-ट्वीट

जनता दल सेक्युलर टूट सकता है। पहले भी ऐसा हुआ है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन एक बात जरूर है कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार इस प्रकरण में कमाल के खिलाड़ी साबित हुए।

चित्रा सुब्रमण्यम@chitraSD

यदि कर्नाटक के राज्यपाल में जरा भी लोकलाज बची है तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम तिकड़मों के लिए बेंगलुरु में डटे हुए केंद्रीय मंत्री भी उतने ही कुसूरवार हैं।

सीताराम येचुरी@SitaramYechury

विपरीत वैचारिकी वाली कांग्रेस और जनता दल एस का मेल कैसे निभेगा, यह अलग बात है, किंतु दोनों दलों के विधायकों ने अद्भुत दलीय-निष्ठा का परिचय दिया! साथ ही राहुल गांधी की टीम ने भी शानदार राजनीतिक सूझबूझ से काम लिया। पक्ष और विपक्ष दोनों का दमदार होना लोकतंत्र के हित में है।

कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

कर्नाटक के राज्यपाल की कुत्ते से तुलना करने पर कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने राजनीति में बदजुबानी की नई मिसाल कायम की है। क्या राहुल गांधी ऐसे राजनीतिक विमर्श की ही पैरवी करते हैं।

आदित्य राज कौल @AdityaRajKaul

जनपथ

भद पिटवाई आपने व्यर्थ हुए बदनाम,
येदयुरप्पा जी आपको माया मिली न राम।
माया मिली न राम शपथ ही क्यों ली भाई,
जब संख्या में हार पड़ रही थी दिखलाई।
कैसे कच्चा खेल सह गए मोटा भाई,
बिन सोचे परिणाम बेवजह भद पिटवाई।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 28 अंक 305**